



सामुदायिक मध्यस्थ (Community Mediators) के पैनल हेतु विज्ञप्ति।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली की अनुमति से जनपद चमोली हेतु सामुदायिक मध्यस्थ **(Community Mediators)** का पैनल गठित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों को सूचना प्रकाशित होने के 15 दिनों के अन्तर्गत अपना बायो डाटा (Resume) कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली न्यायालय परिसर गोपेश्वर में स्वयं अथवा रजिस्टर डाक द्वारा जमा कर सकते हैं।

सामुदायिक मध्यस्थ बनने की अनिवार्य पात्रता:-

1. सेवा निवृत्त न्यायिक/प्रशासनिक अधिकारी,।
2. मध्यस्था के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति।
3. सेवा निवृत्त शिक्षक/ कर्मचारी।
4. समाज सेवी/समाजिक कार्यकर्ता जिसकी आयु 45 वर्ष से अधिक हो।
5. पूर्व जनप्रतिनिधिगण, जिन्हे जनपद की भौगोलिक एवं राजस्व की जानकारी हों।

दिनांक - 24.07.2026

आज्ञा से
सिविल जज(सी0डि0)/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
चमोली।